गोपाल बनाम भंवरलाल

2019/00274/213

15.1.21

गोपाल बनाम भंवरलाल

2019/00274

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 हेतु पेश की गई । अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण स्व0 नाथू क विधिक वारिसान होकर भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत पैत्रिक कृषि भूमियों में अविभाजित कुल 2/6 हिस्सा निहित करता है परन्तु वादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संपूर्ण तथ्यों की विधिवत् जानकारी होने के उपरांत भी सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 को पारित करवाई जिसके तहत प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2018 के तहत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जाती है तो प्रार्थीगण अपने पैत्रिक हक अधिकार व आधिपत्य से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति व मानसिक क्षति कारित होकर प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा, जो न्याय की कतई मंशा नहीं है । प्रार्थीगण पैत्रिक रूप से आराजी मुतनाजा में अविभाजित 2/6 हिस्सा निहित करता है इस कारण प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया आराजी मुतनाजा में हितबद्ध पक्षकार होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1998 पेज 167, आर0बी0जे0 2001 (8) पेज 313, 603, आर0बी0जे0 2012 (19) पेज 172, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 125, ए0आई0आर0 1994 पेज 853, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 998 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का लिखित जवाब न देकर सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस की गई एवं कथन किया कि अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र नाथू द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11–डी में समस्त तथ्य उल्लेखित किये गये है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार कर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1998 पेज 158 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष भंवरलाल पुत्र नाथू द्वारा नानू, चौथू, जेठा पुत्रगण नारायण कुम्हार के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 57/87 अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 19.8.1987 को पेश किया गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2000 को ग्राम गोविन्दगढ़ जिला अजमेर स्थित भूमि खसरा नंबर 3267, 3275, 3267 मिन, 3268 लगायत 3280, 3277 मिन, व 3275 मिन कुल रकबा 64 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमियों में वादी भंवरलाल पुत्र नाथू का आधा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण नानू, चौथू, जेठा पुत्रगण नारायण का 1/2 हिस्सा घोषित किया गया एवं बंटवारा स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, पीसांगन को तहरीर जारी की गई । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण चौथा, नानू व जेठा द्वारा वादी भंवरलाल के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 80/2000 न्यायालय हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गोपाल बनाम भंवरलाल

2019/00274

गोपाल बनाम भंवरलाल
2019/00274

समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 2.7.2001 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 निरस्त किया गया । न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.7.2001 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या टीए0डि/5439/2001/अजमेर भंवरलाल पुत्र नाथू द्वारा चौथा व नानू के वारिसान एवं जेठा पुत्र नारायण के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष पेश की गई । मान0 राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2014 द्वारा भंवरलाल पुत्र नाथू की अपील स्वीकार कर हाजा न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.7.2001 निरस्त कर सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 को यथावत् रखा गया । मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस0बी0 सिविल रिट संख्या 14541/2014 चौथा व नानू के वारिसान एवं जेठा के द्वारा भंवरलाल व अन्य के विरूद्ध पेश की गई जिसे मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने निर्णय दिनांक 7.9.2015 द्वारा खारिज कर दी गई । तत्पश्चात् चौथा व नानू के वारिसान एवं जेठा के द्वारा भंवरलाल के विरूद्ध स्पेशल अपील संख्या 1013/2015 बउनवानी चौथा और अन्य बनाम भंवरलाल मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में प्रस्तुत की गई जिसे मान0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 29.1.2016 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णयों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 सिविल डॉयरी नंबर 39617/2016 जैठा के वारिसान व अन्य द्वारा भंवरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.1.2019 को निरस्त कर दिया गया । अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/1987 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 निरस्त होने के कारण राजस्व वाद संख्या 57/1987 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 कन्फर्म होकर डाक्टराईन ऑफ मर्जर के सिद्धांत के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.1.2019 में मर्ज हो चुका है। इस दरमियादन अपीलांटस द्वारा किसी भी न्यायालय में पक्षकार बनने का आवेदन नहीं किया गया है । अब जबकि प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया है इसके उपरांत अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश की की गई है । अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 1998 पेज 158 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:– PRINCIPLE OF MERGER- Where appeal is filed against the order of the trial court- The order of trial court merges in the judgment of appellate court. उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व्यथित पक्षकार नहीं माने जाने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य पायी जाती है । यदि अपीलांटस उपरोक्त निर्णयों से अपने आपको पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार मानते है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पी आयोजन

गोपाल बनाम भंवरलाल

२७४/१९/२२३

श्री एन.एम राजावत

नियत तारीख 10,11 [illegible]

गोपाल बनाम भंवरलाल
2019 / 00274

लगातार,

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर